पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2008 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13495

==========

हरिशंकर प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय दामोदर लाल ग्राम के निवासी एवं डाकघर-कुल्हरिया वाया चुरामनपुर, थाना-मुफसिल बक्सर, जिला-बक्सर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. सचिव, खाद्य, आपूर्ति और वाणिज्य विभाग बिहार सरकार।
3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम, पटना।
4. जिला मजिस्ट्रेट, सिवान।
5. अध्यक्ष जिला उपभोक्ता मंच, सिवान।
6. जिला आपूर्ति अधिकारी-सह-सचिव, जिला उपभोक्ता मंच, सिवान।
7. महालेखाकार (ए एंड ई) II बिहार बीरचंद पटेल मार्ग, पटना।
8. लेखा अधिकारी, ए. जी. बिहार (ए एंड ई) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना के कार्यालय की धारा 8 (पेंशन)।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

साथ

2016 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9006

==========

मो. मोहम्मद मुस्तफा सालिक पुत्र-मो. सालिक निवासी+थाना सईद गाँव + डाकघर + बासोपट्टी, जिला-मधुबनी (बिहार) के स्थायी निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, मधुबानी।
5. कलेक्टर, मधुबनी।
6. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड अपने प्रबंध निदेशक, खाद्या भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, बिहार राज्य उपभोक्ता आयोग के पास, पटना-800001 के माध्यम से।
7. महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, आर.ब्लॉक के पास, पटना।

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2010 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2114

==========

मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय नंदन सिंह गाँव के निवासी सिहमा कल्याण, डाकघर-मगनपुर थाना-भगवानपुर, जिला-वैशाली

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. आयुक्त-सह-सचिव, खाद्य आपूर्ति और वाणिज्यिक विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक, खाद्य आपूर्ति और वाणिज्यिक विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. आयुक्त-सह-सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. बिहार सरकार के संयुक्त सचिव, पटना
7. महालेखाकार (ए और ई) 11 बिहार, पटना
8. जिला मजिस्ट्रेट मुज़फ़्फ़रपुर
9. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता मंच मुज़फ़्फ़रपुर

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2010 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2454

==========

लाल बाबू चौधरी पुत्र स्वर्गीय जय राम चौधरी ग्राम-यूसुफपुर (उत्तर-पूर्व चौरसिया चौक) के निवासी, डाकघर और थाना- औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर, जिला-वैशाली

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. आयुक्त-सह-सचिव, खाद्य आपूर्ति और वाणिज्यिक विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. आयुक्त-सह-सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. बिहार सरकार के संयुक्त सचिव, पटना।
6. सचिव, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, सर्पेन्टाइन रोड, पटना
7. महालेखाकार, बिहार, पटना
8. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता मंच, वैशाली
9. जिला मजिस्ट्रेट, वैशाली

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2016 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15106

==========

प्रभाकर झा पुत्र-स्वर्गीय महावीर झा, ग्राम के स्थायी निवासी+डाकघर-वर्तमान में मोहल्ला के निवासी-डी. एन. वाई. कॉलेज के दक्षिण में मोहल्ला-विद्यापती नगर (चकदाह), थाना-राजनगर, डाकघर-मधुबानी एच. पी. ओ. जिला-मधुबनी, पिन-847211 हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. उप सचिव, खाद्य, आपूर्ति और वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, मधुबनी।
6. कलेक्टर, मधुबनी।
7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना।
8. महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, आर.ब्लॉक पटना के पास।

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2016 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15152

==========

अशोक कुमार झा पुत्र-अम्बिका प्रसाद झा वर्तमान में गाँव + डाकघर.-काकरौल, वाया-रहिका, थाना-रहिका, जिला-मधुबनी (बिहार) के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. उप सचिव, खाद्य, आपूर्ति और वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, मधुबनी।
6. कलेक्टर, मधुबनी।
7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना।
8. महालेखाकार, बिहार, आर. ब्लॉक, पटना के पास बीरचंद पटेल पथ।

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2016 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15043

==========

रणधीर सिंह, पुत्र-स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम के निवासी-परसा, थाना-राजनगर, डाकघर-रामपट्टी, जिला-मधुबनी-847236 (बिहार) के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. उप सचिव, खाद्य, आपूर्ति और वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, मधुबनी।
6. कलेक्टर, मधुबनी।
7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना।
8. महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, आर. ब्लॉक, पटना के पास।

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2010 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13408

==========

1. बालेश्वर ठाकुर पुत्र स्वर्गीय महावीर ठाकुर गांव के निवासी, डाकघर-एलाव और थाना बेगुसराय (मुफस्सिल), ओ.पी.-सिंघौल जिला-बेगुसराय
2. मो. हसन, पुत्र -स्वर्गीय मो. इस्माइल के निवासी गाँव लालपुर, थाना-मटिहानी जिला-बेगुसराय

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. बिहार की शून्य सरकार के मुख्य सचिव, पटना।
3. आयुक्त-सह-सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार पटना।
4. आयुक्त-सह-सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार पटना।
5. सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार पटना।
6. संयुक्त सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार पटना
7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना
8. जिला मजिस्ट्रेट बेगुसराय

9. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता मंच, बेगुसराय

10. महालेखाकार बिहार, पटना

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2010 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13490

==========

रमेश कुमार यादव पुत्र राम लखन राय निवासी मोह गोरिया टोली, शांति भवन के पीछे, थाना-कोतवाली, जिला-पटना

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य कृषि विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार सरकार, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना
2. बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड अपने प्रशासक, पंत भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से।
3. प्रशासक बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत भवन, पटना
4. अवर सचिव, बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंत भवन, पटना

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 19189

==========

रामदेव पासवान, पुत्र- बलदेव पासवान निवासी पुरखोपति , डाकघर-लहरियासराई, थाना-दरभंगा सदर, जिला-दरभंगा।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, बिहार सरकार के मुख्य सचिव, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से।
2. सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. उप सचिव, खाद्य आपूर्ति और वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, दरभंगा।
5. कलेक्टर, दरभंगा।
6. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, खाद्या भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना।
7. महालेखाकार बिहार, आर. ब्लॉक, पटना के पास बीरचंद पटेल पथ।

.... उत्तरदाता/गण

==========

के साथ

2017 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 19262

==========

नागेंद्र कुमार सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद के पुत्र, मोहल्ला-लक्ष्मी सागर कॉलोनी, पोस्ट + पुलिस स्टेशन-दरभंगा, जिला-दरभंगा के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. उप सचिव, खाद्य, आपूर्ति और वाणिज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, दरभंगा।
5. कलेक्टर, दरभंगा।
6. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना।
7. महालेखाकार, बिहार, आर. ब्लॉक, के पास पटना बीरचंद पटेल पथ।

.... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

(2008 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 13495 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए :श्री चंद्रकांत, अधिवक्ता

:श्री एम. सी. गांधी, अधिवक्ता।

:श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए :श्री एस.सी-16

बीएसएफसी के लिए :श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।

:श्री शैलेंद्र कुमार, अधिवक्ता।

ए. जी. के लिए :श्री अरुण कुमार अरुण, अधिवक्ता

(2016 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 9006 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री राजेंद्र लाल दास अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता :श्री जी.ए.- 2

(2010 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 2114 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता :श्री (जी. ए.-1)

बीएसएफसी के लिए :श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।

:श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता।

(2010 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 2454 में)

याचिकाकर्ताओं के लिएः :श्री अनिल कुमार सिन्हा अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता :श्री ए.ए.जी.-11

(2016 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 15106 में)

याचिकाकर्ताओं के लिएः :श्री राजेंद्र लाल दास, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के लिए :श्री अरविंद उज्जवल, एस.सी.-4

श्री सुशील कुमार मलिक, एस.सी. 4 के ए.सी.-

(2016 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 15152 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री राजेंद्र लाल दास अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के लिए :श्री अरविंद उज्जवल, एस.सी-4

:श्री सुशील कुमार मलिक, ए. सी. से एस. सी.-4 के ए.सी.

(2016 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 15043 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री राजेंद्र लाल दास अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के लिए :श्री एस. रजा अहमद, ए.ए.जी.-5

:मो. कामिल अख्तर, A.A.G.-5

के ए. सी. बी. एस. एफ. सी. के लिएःश्री शैलेंद्र कुमार, अधिवक्ता।

(2010 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 13408 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री प्रशांत सिन्हा, अधिवक्ता

:श्री बिंध्याचल सिंह, अधिवक्ता

:श्री पारिजात सौरव, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए :श्री (ए.ए.जी-10)

(2010 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 13490 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री ध्रुबा मुखर्जी अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के लिए :श्री पी. के. वर्मा, ए.ए.जी-3

:श्री सरोज कुमार शर्मा, ए.ए.जी.के ए.सी.

(2017 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 19189 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री राजेंद्र लाल दास अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी के लिए :श्री एस.रजा अहमद-ए.ए.जी-5

बीएसएफसी के लिए :श्री शैलेंद्र कुमार, अधिवक्ता।

(2017 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 19262 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री राजेंद्र लाल दास,

प्रत्यर्थी के लिए :श्री एस. रजा अहमद, अधिवक्ता

याचिकार्ता के लिएः :श्री राजेन्द्र लाल दास अधिवक्ता.

प्रत्यर्थी/ओं को लिए :श्री अरविंद उज्जवल एस.सी.-4

:श्री सुशील कुमार मलिक, एस सी - 4 के ए.सी

==========

- *कानून और विचार के लिए तथ्यों का सामान्य प्रश्न-क्या निगम के साथ सेवा कर रहे सभी कर्मचारी मानवीय आधार पर राज्य सरकार में अपने विलय से पहले की अवधि के लिए पेंशन/पेंशन लाभों पर विचार करने/गिनती करने के हकदार हैं-याचिकाएं-विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 22.04.2013 दिनांकित सी.डब्लू.जे.सी. में पारित आदेश के माध्यम से पूर्ण पीठ को संदर्भित। 2008 की संख्या 13495 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाएं-इस न्यायालय के निर्णयों के दो सेट जो अलग-अलग विचार लेते हैं-एक प्रेम प्रकाश बनाम के मामले में 2000 में सूचित बिहार राज्य और अन्य (3) सभी पी. एल. आर. 313; मो. लियाकत बनाम बिहार राज्य ने 2009 में सूचित किया (3) प्रेम प्रकाश पी. एल. जे. आर. 2000 (3) कमल बंश नारायण सिंह बनाम के मामले में 2004 के एल. पी. ए. सं. 154 में इस न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय। प्रेम प्रकाश बिहार राज्य और अन्य. और दूसरी ओर, बिंदेश्वरी प्रसाद अंबस्थ बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय। बिहार राज्य ने 1998 में रिपोर्ट किया (1) पी. एल. जे. आर. 740; सचिव, वित्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग बनाम विनोद कुमार ने 2006(1) पी. एल. जे. आर. 269 (डी. बी.) में रिपोर्ट किया; गिरिजा देवी बनाम बिहार राज्य ने 2010(1) पी. एल. जे. आर. 495 में महेंद्र राम बनाम के मामले में 2002 की एल. पी. ए. संख्या 920 में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय की सूचना दी। बिहार राज्य और अन्य. और जयंत कुमार लाहिड़ी बनाम के मामले में निर्णय। बिहार राज्य ने 2013 में (1) पी. एल. जे. आर. 173 दर्ज किया।*

(कंडिका - 10, 13, 14)

- *विचार के लिए प्रश्न-सेवानिवृत्ति लाभ/पेंशन लाभ आदि के उद्देश्य से राज्य सरकार में निगमन के साथ संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में-सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी-याचिकाकर्ताओं को लिखें-बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (जिसे इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के कर्मचारी-एक निजी लिमिटेड कंपनी जिसका अपना संगठन ज्ञापन है-उक्त निगम का परिसमापन-याचिकाकर्ताओं को सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ मामलों में, उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, सरकार के तहत जिला उपभोक्ता मंचों में*

शामिल किया गया था। बिहार-सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, उन्हें अनुपात के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया था और राज्य सरकार में उनके द्वारा प्रदान की गई उनकी सेवाओं-निगम में उनकी सेवा की अवधि को पेंशन/पेंशन लाभों के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा गया था-संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है-वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से-निगम में अपनी सेवा की अवधि के लिए भी पेंशन/पेंशन लाभों के लाभ का दावा करते हुए-वे निगम में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण उपदान के हकदार हैं। (रिलायंस ने बनायाः- प्रेम प्रकाश (ऊपर) मो. लियाकत (ऊपर) और कमल बंश नारायण सिंह (ऊपर), कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य 2003 (6) एस. सी. सी. 1. उन्होंने दावा किया कि वे अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और/या निगम में सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए पेंशन/पेंशन लाभ/उपदान आदि के हकदार हैं। दूसरी ओर, बिनिदेश्वरी प्रसाद अंबस्थ (ऊपर), विनोद कुमार (ऊपर), गिरिजा देवी (ऊपर), महेंद्र राम (ऊपर) और जयंत कुमार लाहिड़ी (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण लिया जाता है-इसलिए-इन रिट याचिकाओं को पूर्ण पीठ को भेजा जाता है।

(कंडिका -1 से 4)

- *इस न्यायालय के विचार के लिए पूछा गया और पूर्ण पीठ को भेजा गया प्रश्न यह है कि क्या निगम के साथ सेवा कर रहे सभी कर्मचारी मानवतावादी आधार पर निगम के साथ और/या राज्य सरकार में उनके विलय से पहले की अवधि के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर विचार/गणना करते हुए पेंशन/पेंशन लाभ के हकदार हैं-यह अभिनिर्धारित किया गया कि निगम द्वारा नियुक्त सभी रिट याचिकाकर्ता-निगम के कर्मचारी-निगम के अपने नियम और विनियम थे और इसका अपना संगठन ज्ञापन-इसमें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संचालित पेंशन योजना-निगम का व्यवसाय-शामिल नहीं था। केवल इसलिए कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक व्यवसाय का संचालन कर रहे थे, जिसे राज्य सरकार द्वारा निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है, निगम के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के सभी लाभों के हकदार नहीं होंगे, विशेष रूप से, जब वे एक स्वतंत्रता नियमों और विनियमों द्वारा शासित थे*

क्योंकि निगम का अपना संगठन ज्ञापन था। इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि निगम के कर्मचारी राज्य सरकार के साथ अपने विलय के बाद निगम के साथ प्रदान की गई अपनी सेवाओं को गिनते हुए पूर्ण पेंशन/पेंशन लाभ/कुल उपदान के हकदार होंगे।

(कंडिका - 7 से 8)

- *रिट याचिकाकर्ता-निगम के बंद होने के कारण छंटनी का सामना करना पड़ रहा है-निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं था और इसलिए, मानवीय आधार पर आधार-उन्हें सरकार में शामिल करने/नियुक्त करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है ताकि उन्हें नौकरी से वंचित न किया जाए।*

(पैरा-9)

- *बिहार पेंशन नियम-नियम 58- राज्य सरकार के साथ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुपात के आधार पर पेंशन/पेंशन लाभों का भुगतान-यह पूरी तरह से नियमों के अनुरूप है-इसलिए, जब तक और जब तक कर्मचारियों की सेवाएं सरकार के अधीन नहीं हैं, तब तक ऐसा कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं होगा और/या पेंशन के लिए योग्य नहीं होगा। निगम के साथ संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सरकार के तहत की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है-राज्य सरकार केवल राज्य सरकार के साथ संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को देखते हुए आनुपातिक आधार पर पेंशन/पेंशन लाभों का भुगतान करना उचित समझती है।*

- *संबंधित कर्मचारी निगम में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को गिनते हुए राज्य सरकार के साथ उनके विलय से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन/पेंशन लाभ के हकदार नहीं होंगे क्योंकि निगम के कर्मचारियों के लिए कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, मानवीय आधार पर, क्योंकि निगम बंद होने का सामना कर रहा था और यह देखने के लिए कि संबंधित कर्मचारी बेरोजगार न हों, नियुक्ति/अवशोषित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार में संबंधित कर्मचारी*

इसलिए, यदि निगम को बंद करने का सामना नहीं करना पड़ता, तो संबंधित कर्मचारियों को निगम के साथ जारी रखा जाता और इस तरह कोई पेंशन योजना लागू नहीं होती, उन्हें निगम के साथ सेवा करते समय पेंशन नहीं दी जाती। इसलिए, केवल इसलिए कि बाद में, उन्हें मानवीय आधार पर राज्य सरकार के साथ निगमित/नियुक्त किया गया था, वे उस अवधि के लिए पेंशन/पेंशन लाभों के हकदार नहीं होंगे जब वे निगम के साथ सेवा करते समय पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं थे।

(कंडिका - 11, 12)

- *माना जाता है कि संबंधित रिट याचिकाकर्ता, जो पूर्ववर्ती निगम के कर्मचारी हैं, निगम में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को गिनते हुए पेंशन/पेंशन लाभ/कुल उपदान के हकदार नहीं होंगे और यह कि राज्य सरकार केवल राज्य सरकार में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को गिनते हुए आनुपातिक आधार पर संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन लाभ का भुगतान करना उचित है। तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।*

(पैरा-15)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्री रवि रंजन,

एवं

माननीय न्यायधीश श्री आशुतोष कुमार

(प्रतिः सी.ए.भी. निर्णय)

माननीय मुख्य न्यायाधीश

तारीखः 01-11-2018

चुंकि ही रिट याचिकाओं के इन समूह में कानून और तथ्यों का आम प्रश्न उत्पन्न होता है, इन सभी रिट याचिकाओं की सुनवाई, निर्णय और निपटान इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जाता है।

1. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सभी रिट याचिकाओं को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2008 के सी डब्लु.जे.सी. संख्या 13495 में पारित दिनांकित 22.04.2013 के आदेश और अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय के अलग-अलग निर्णयों के दो सेटों को देखते हुए पूर्ण पीठ को भेजा जाता है। एक ***2000 (3) के सभी पी एल आर 313*** में प्रतिवेदित ***प्रेम प्रकाश बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2009 (3) पी एल जे आर 300*** में प्रतिवेदित मो. लियाकत बनाम बिहार राज्य मामलों में इस न्यायालय की ***2004 की एल पी ए संख्या 154*** में इा न्यायालय के शंड पीठ का निर्णय पुर्ण पीठ को भेजा जाता है। ***कमल वंश नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य एंव अन्य*** के मामला में एवं दुसरी और ***1998 (1) पी एल जे आर 740*** में प्रतिवेदित ***बिन्देश्वरी प्रसाद अम्बष्ट बनाम बिहार राज्य 2006 (1) पी एल ले आर 269*** (खंड पीठ) में प्रतिवेदित सचिव, सचिव वित्त (राष्ट्रिय बचत) विभाग बनाम विनोद कुमार ***2010 (1) पी एल जे आर 495*** में प्रतिवेदित ***गिरिजा देवी बनाम बिहार राज्य मामलों में 2002 के एल पी ए सं.920*** में इस न्यायालय के खंड पीठ का निर्णय एवं ***2013(1) पी एल जे आर 173*** में प्रतिवेदित ***जयंत कुमार लाहिरी बनाम बिहार राज्य मामले*** में वाद का निर्णय को पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया ***महेन्द्र राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** के मामले में इस न्यायालय का खंड पीठ का निर्णय

2002 के एल पी ऐ सं. 920 में 2013 (1) पी एल जे आर 173 में प्रतिवेदित ***जयन्त कुमार लाहिरी बनाम बिहार राज्य*** के मामले में इसे पूर्ण पीठ को भेजा गया।

2. छोटा (संक्षिप्त) प्रश्न, जो इस न्यायालय के समक्ष विचारर्थ रखा गया है एवं पूर्ण पीठ को संदर्भित है संबंधित कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ/पेंशन लाभ आदि के उद्देश्य से राज्य सरकार में उनके विलय से पहले निगम के साथ प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में है।

3. कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी रिट-याचिकाकर्ताओं बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) के कर्मचारी थे। कि उक्त निगम-कंपनी एक निजी लिमिटेड कंपनी थी जिसका अपना संगठन ज्ञापन था। कि जब उक्त निगम परिसमापन के अधीन था और इसलिए, उन्हें सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ मामलों में, उन्हें कि जब उक्त कॉरपोरेशन लिक्वीडेशन के अधीन था, एवं इसलिए उन्हे सरकारी सेवा के तहत उन्हे अवशोषण करने की नीति थी, कुछ मामलो में उन्हे खादुय एवं नागरिक पुर्ति प्रभाग, बिहार सरकार के तहत उपभेक्ता मंच में शामिल किया गया था। इसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, उन्हें यथानुपात के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया और राज्य सरकार में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और निगम में उनकी सेवा की अवधि को पेंशन/पेंशन लाभों के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए, संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें निगम में अपनी सेवा की अवधि के लिए भी पेंशन/पेंशन लाभों के लाभ का दावा किया गया है। यह उनका मामला है कि वे निगम में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण उपदान के हकदार हैं।

4. ***प्रेम प्रकाश (उपर) मे. लियाकत (उपर) एवं कमल वंश नारायण सिंह*** मामलों में इस न्यायालय के मामलो पर भरोसा रखा एवं उन्होने दावा किया कि वे पेंशन/पेशन लाभ/उपदान आदि ***मो. लियाकत (ऊपर) और कमल बंश नारायण सिंह (ऊपर)***, पर भरोसा किया और उन्होंने दावा किया कि वे उनके (स्वंय) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और/या निगम में सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए पेंशन/पेंशन लाभ/उपदान आदि के हकदार हैं। दूसरी ओर, ***बिनिदेश्वरी प्रसाद अम्बस्थ (ऊपर), विनोद कुमार***

(ऊपर), गिरिजा देवी (ऊपर), महेंद्र राम (ऊपर) और जयंत कुमार लाहिरी (ऊपर), मामलों में एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

5. संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि हालांकि शुरू में संबंधित रिट याचिकाकर्ता निगम के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि निगम खाद्यान्न की खरीद और वितरण का व्यवसाय कर रहा था, जो राज्य सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्रदान करने का दायित्व था, राज्य सरकार में उनके बाद के अवशोषण पर, संबंधित रिट याचिकाकर्ता पेंशन/पेंशन लाभों के हकदार हैं, जिसमें उस अवधि के दौरान भी शामिल है जिसके दौरान उन्होंने निगम के साथ काम किया था।

5.1. संबंधित रिट याचिकाकर्तओ की ओर से पेश हुए विद्घत वकील ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है कि यद्यपि शुरु में संबंधित रिट याचिकाकर्तओं ने निगम के साथ काम किया है। निगम की पूरी शेयर पूंजी भी सरकार और निदेशक मंडल के पास थी, जिसका गठन भी सरकार द्वारा किया गया था और आम तौर पर एक आई. ए. एस. अधिकारी निगम का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक होता है। सभी नियुक्तियाँ और वेतनमान का निर्धारण सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निगम के साथ काम करते समय संबंधित रिट याचिकाकर्ता को सरकारी कर्मचारी माने जाने की आवश्यकता है और वे सभी उन सभी लाभों के हकदार हैं जो सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए, जिस अवधि के दौरान संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने निगम के साथ काम किया और बाद में, उन्हें सरकार में शामिल कर लिया गया, राज्य सरकार में उनके अवशोषण से पहले की अवधि को भी उपदान सहित पेंशन/पेंशन लाभों के लिए विचार/गणना करने की आवश्यकता थी।

5.2. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना, **प्रेम प्रकाश (उपरोक्त), मो. लियाकत (ऊपर), और कमल बंश नारायण सिंह (ऊपर) और कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य के 2003 (6) एस. सी. सी. 1 (ऊपर) और सर नन्हकू प्रसाद सिंह उर्फ नन्हू प्रसाद सिन्हा बनाम** के मामले में भी रिपोर्ट की। **2004 (3) पी. एल. जे. आर. (एच. सी.) 769** में सूचित बिहार राज्य और अन्य राज्य सरकार को निगम के साथ संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गणना करते हुए पूर्ण पेंशन/पेंशन लाभ/उपदान का भुगतान करने का निर्देश देकर वर्तमान रिट याचिकाओं को अनुमति देने का अनुरोध

किया गया है, अर्थात राज्य सरकार में उनके विलय से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि, जो राज्य सरकार द्वारा अवशोषण के पूर्व अपनाया गया।

6. इन सभी रिट याचिकाओं का जोरदार विरोध द्वारा प्रस्तुत विद्वान वकील द्वारा किया गया कि बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा बिहार पेंशन नियमों के नियम 58 पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है।

6.1. आगे राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम एक स्वतंत्र निगम और एक निजी लिमिटेड कंपनी थी और उक्त निगम की सेवाएं उनके अपने नियमों और विनियमों द्वारा शासित थीं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निगम बंद होने का सामना कर रहा था और इसलिए, सहानुभूतिपूर्ण विचार पर, निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार में शामिल करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उन सभी को राज्य सरकार के साथ उनकी सेवाओं पर विचार/गणना के आधार पर पेंशन/पेंशन लाभ का भुगतान किया गया था।

6.2. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि जिस निगम में रिट याचिकाकर्ता पहले सेवारत थे, वहां कोई पेंशन योजना नहीं थी और इसलिए संबंधित रिट याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए पेंशन/पेंशन लाभ के हकदार नहीं होंगे जिसके तहत उन्होंने निगम के साथ काम किया था क्योंकि जब वे निगम के साथ सेवारत थे, तब कोई पेंशन योजना नहीं थी। यह आगे प्रस्तुत किया कि इस प्रकार उन्हें मानवीय आधार पर राज्य सरकार में ले जाया गया क्योंकि निगम बंद होने का सामना कर रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि निगम बंद होने का सामना नहीं कर रहा था, तो उस मामले में, सभी कर्मचारियों को निगम के साथ जारी रखा जाता और इसलिए, वे किसी भी पेंशन/पेंशन लाभ के हकदार नहीं थे क्योंकि कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी।

6.3. यह राज्य की ओर से आगे विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि यह कहते हुए कि राज्य सरकार ने भी उन्हें हटाने के बजाय एक परिपत्र की घोषणा की थी, उन सभी को राज्य सरकार में नियुक्त/समायोजित किया गया था और आवेदन आमंत्रित करने के बाद यह राज्य सरकार के साथ एक नई नियुक्ति थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, राज्य सरकार ने विशेष रूप से बिहार पेंशन नियमों

के नियम 58 पर विचार करते हुए, राज्य सरकार के साथ सेवाओं पर विचार करते हुए यथानुपात के आधार पर पेंशन/पेंशन लाभों को उचित रूप से प्रदान किया है।

6.4. ***बिंदेश्वरी प्रसाद अंबस्थ (ऊपर), विनोद कुमार (ऊपर) गिरिजा देवी (ऊपर), महेन्द्र राम (ऊपर) एवं जयंत कुमार लाहिरी*** ने इन मामलो में उपरोक्त निर्णयों पर काफी भरोसा किया।

7. संबंधित पक्ष की ओर से पेश हुए विद्वत वकील को विस्तार से सुना। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संक्षिप्त प्रश्न, जो इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है और पूर्ण पीठ को भेजा गया है, वह यह है कि क्या निगम के साथ सेवा कर रहे सभी कर्मचारी निगम के साथ और/या मानवीय आधार पर राज्य सरकार में उनके विलय से पहले की अवधि के लिए प्रदान की गई अपनी सेवाओं पर विचार/गणना करते हुए पेंशन/पेंशन लाभों के हकदार हैं।

8. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सभी रिट याचिकाकर्ताओं को निगम द्वारा नियुक्त किया गया था और वे निगम के कर्मचारी थे और निगम के अपने नियम और विनियम थे और इसमें पेंशन योजना शामिल नहीं थी। निगम का अपना संगठन ज्ञापन भी था। निगम का व्यवसाय कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता था। केवल इसलिए कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक व्यवसाय का संचालन कर रहे थे, जिसे राज्य सरकार द्वारा निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है। सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से, जब वे एक स्वतंत्र नियमों और विनियमों द्वारा शासित थे क्योंकि निगम का अपना संगठन ज्ञापन था। इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन कि निगम के कर्मचारी राज्य सरकार के साथ अपने विलय के बाद निगम के साथ प्रदान की गई अपनी सेवाओं को गिनते हुए पूर्ण पेंशन/पेंशन लाभ/कुल उपदान के हकदार होंगे, उपरोक्त आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

9. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वास्तव में, सभी रिट निगम के बंद होने के कारण याचिकाकर्ताओं को छंटनी का सामना करना पड़ रहा था और यहां तक कि निगम भी अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं था और इसलिए, मानवीय आधार पर, उन्हें सरकार में शामिल करने/नियुक्त करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था ताकि उनकी नौकरी अपरोक्त आधार पर कम नहीं किया जाए।

10. अब, जहाँ तक निर्णय पर निर्भरता रखी गई है, संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा ***कपिल हिंगोरानी (उपरोक्त)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का संबंध है, मामले के तथ्यों पर विचार करने पर, उक्त निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा। यह विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में था, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को उन्हें पुनः स्मार देते हुए कि यह उनका नैतिक दायित्व है, कि नगम के कर्मचारियों को कुछ वेतन दे ताकि वे वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे थे। इसके विपरीत पैराग्राफ-74 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि आदेश का उद्देश्य यह कानून निर्धारित करना नहीं है कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को सभी स्थितियों में वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश मानवीय आधार पर यह कहते हुए आधारित है कि जब इतने लंबे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने के कारण कर्मचारियों द्वारा भुखमरी से होने वाली मौतों और/या आत्महत्या से जुड़ी इतनी बड़ी मानवाधिकार समस्या हो रही है तो राज्य अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। इसलिए, उपरोक्त निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा, विशेष रूप से, पेंशन/पेंशन लाभों के संबंध में, जैसा कि रिट याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के साथ अपने विलय से पहले निगम के साथ सेवा की अवधि के लिए दावा किया था।

11. अब, जहाँ तक पेंशन/पेंशन के लाभ के भुगतान की बात यथानुपात आधार पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर विचार करते हुए आनुपातिक आधार पर राज्य सरकार द्वारा लाभ की चिंता यह है कि यह बिहार पेंशन नियमों के नियम 58 के अनुरूप है, जो निम्नानुसार है।

> "58. एक सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए योग्य नहीं है जब तक कि यह निम्नलिखित तीन शर्तों के अनुरूप न होः-
>
> पहला-सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए,
>
> दूसरा-रोजगार मूल और स्थायी होना चाहिए। '
>
> तीसरा- सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इन तीनों स्थितियों को निम्नलिखित उप-खंडों में पूरी तरह से समझाया गया है। "

इसलिए, जब तक कर्मचारियों की सेवाएं सरकार के अधीन नहीं हैं, तब तक ऐसा कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं होगा और/या पेंशन के लिए योग्य नहीं होगा। निगम के साथ संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सरकार के तहत की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, राज्य सरकार केवल राज्य सरकार के साथ संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर विचार करते हुए आनुपातिक आधार पर पेंशन/पेंशन लाभों का भुगतान करना उचित समझती है।

12. अन्यथा भी, संबंधित कर्मचारी निगम के साथ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को गिनते हुए राज्य सरकार के साथ उनके विलय से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन/पेंशन लाभों के हकदार नहीं होंगे क्योंकि निगम के कर्मचारियों के लिए कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी जैसा कि ऊपर देखा गया है, मानवीय आधार पर, क्योंकि निगम बंद होने का सामना कर रहा था और यह देखने के लिए कि संबंधित कर्मचारी बेरोजगार न हों, राज्य सरकार में संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति/उन्हें शामिल करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। इसलिए, यदि निगम को बंद होने का सामना नहीं करना पड़ता, तो संबंधित कर्मचारियों को निगम के साथ जारी रखा जाता और इस तरह कोई पेंशन योजना लागू नहीं होती, उन्हें निगम के साथ सेवा करते समय पेंशन नहीं दी जाती। इसलिए, केवल इसलिए कि बाद में, उन्हें मानवीय आधार पर राज्य सरकार के साथ निगमित/नियुक्त किया गया था, वे उस अवधि के लिए पेंशन/पेंशन लाभों के हकदार नहीं होंगे जब वे निगम के साथ सेवा करते समय पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं थे।

13. अब, जहाँ तक निर्णय पर निर्भरता रखी गई है प्रेम प्रकाश (*ऊपर*) और मोहम्मद के मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश। रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा लिए गए निर्णय (उपरोक्त) से संबंधित हैं, ऊपर बताए गए कारणों से, हम उपरोक्त निर्णयों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। इसी तरह, ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम 2008 के पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.13495 से इसके विपरीत, विनोद कुमार (ऊपर), एस.ए.हसन (ऊपर) मामलों में प्रत्यक्ष निर्णय है एवं बिन्देश्वरी प्रसाद अम्बष्ट के मामले में विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय से सहमत है।

14. अब जहां तक सर **नन्हकू प्रसाद सिंह उर्फ नन्हकू प्रसाद किन्हा (ऊपर)** के मामलों में इस नयायालय के खंड पीठ न्रिणय पर भरासा रखा गया रिट याचिकाकर्तओं की ओर से पेश विद्वान वकील की ओर से पेश हुए वर्तमान वाद के तथ्यों के अनुप्रयोग का प्रश्न है, कर्मचारी को पेंशन के आधार पर कर्मचारी से वंचित रखने का प्रश्न है कि वह एक स्थायी कर्मचारी नहीं था। यह भी पाया गया कि कर्मचारी को नियुक्ति सरकारी विभाग द्वारा किया गया था एवं इसके उपरान्त उसे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में रखा गया यह की पाया गया कि 40 वर्षो के लगातार सेवा के पश्चात, वह पेशन से इनकार नही करता क्योकि उसकी सेवानिवृति एक सेवानिवृति के आधार पर की गई थी, इसलिए निर्णय तथ्यों एवं परिस्थितियों में वर्तमान वाद में अनुप्रयुक्त होगा।

15. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि संबंधित रिट याचिकाकर्ता जो पूर्ववर्ती निगम के कर्मचारी हैं, वे पेंशन/पेशन लाभ/निगम के साथ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवओं को देखते हुए पेंशन लाभ/निगम के साथ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को गिनते हुए कुल उपदान और यह कि राज्य सरकार केवल राज्य सरकार के साथ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को गिनते हुए संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुपात के आधार पर पेंशन/पेंशन लाभ का भुगतान करना उचित है। तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

(मुकेश आर. शाह, मुख्य न्यायाधीश)

(डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश)

(आशुतोष कुमार, न्यायाधीश)

ब्रजेश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।